

28.01.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की उभयपक्ष द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। उभयपक्ष को लगातार अवसर दिये जाने के उपरान्त अनुपस्थित है। उभयपक्ष को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। उभयपक्ष के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो


सहायक क्लर्क
एवं उपाध्यक्ष
हनुमानगढ़

